भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2340

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास

2340. श्री अ. मनिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत किफायती आवास संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए क्या पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या हाल के वर्षों में ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को परिभाषित करने के लिए वार्षिक आय सीमा और अन्य सामाजिक- आर्थिक मापदंडों को संशोधित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु सहित देश भर में पीएमएवाई-यू की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत कुल कितने ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को घर प्रदान किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता मानदंड को संशोधित करने हेतु कोई अभ्यावेदन या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पीएमएवाई-यू के तहत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को किफायती घर उपलब्ध कराने में एकसमान वितरण, पारदर्शिता और पहुंच में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है, ताकि तमिलनाडु सहित देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी

नागरिक सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाता है:

i. भारत में कहीं भी अपने या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का आवास न होना।
ii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है, इस योजना के सीएलएसएस घटक को छोड़कर जिसमें निम्न आय समूह (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) के लाभार्थी भी शामिल हैं।
iii. बीएलसी घटक के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि का स्वामित्व।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.46 लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो गया हैं और 90.60 लाख आवास 03.03.2025 तक पीएमएवाई-यू के तहत पूरे हो चुके हैं/तमिलनाडु सहित देश भर में लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। पीएमएवाई-यू के तहत शुरूआत से अब तक तमिलनाडु सहित देश भर में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण आवासों/ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित असुरक्षित आबादी की समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, मिशन योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न तरीके अपनाता है। एक व्यापक और मजबूत एमआईएस प्रणाली विकसित की गई है जो सभी हितधारकों को वास्तविक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी को निर्बाध रूप से प्रबंधित करने में मदद करती है। एमआईएस जियो-टैगिंग सुविधाओं से लैस है और आवासों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के भुवन पोर्टल और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के भारत मैप के साथ एकीकृत है। सूचना के प्रसार के लिए एमआईएस को उमंग मोबाइल ऐप, नीति आयोग डैशबोर्ड और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले, लाभार्थियों के आधार सत्यापन के लिए यूआईडीएआई और जीआईएस आधारित केंद्रीय एमआईएस आदि जैसे विभिन्न लिंकेज की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के 9 वर्षों के अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके। आज तक, तमिलनाडु सहित 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन दिशानिर्देश 17.09.2024 को शुरु किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने और संचालन दिशानिर्देश के लिए एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in देखा जा सकता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 की योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ईडब्ल्यूएस/एलआई/एमआईजी श्रेणी के परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं है, वे पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आवास खरीदने या बनाने के पात्र हैं। ईडब्ल्यूएस परिवारों को 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्न आय को 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है। मध्यम आय समूह को 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है।

*****

दिनांक 13-03-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2340 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तमिलनाडु सहित, पीएमएवाई-यू के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को स्वीकृत आवासों के साथ-साथ कुल स्वीकृत आवासों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत आवास (संख्या)	स्वीकृत ईडब्ल्यूएस आवास (संख्या)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	21,37,028	20,76,342
2		बिहार	3,14,477	2,96,327
3		छत्तीसगढ	3,02,663	2,72,866
4		गोवा	3,146	153
5		गुजरात	10,05,204	5,58,203
6		हरियाणा	1,15,034	75,830
7		हिमाचल प्रदेश	12,758	10,546
8		झारखंड	2,29,156	2,14,663
9		कर्नाटक	6,38,121	5,40,536
10		केरल	1,67,322	1,48,823
11		मध्य प्रदेश	9,61,147	8,41,612
12		महाराष्ट्र	13,64,923	8,48,163
13		ओडिशा	2,03,380	1,91,695
14		पंजाब	1,32,235	93,861
15		राजस्थान	3,19,877	2,12,265
16		तमिलनाडु	6,80,347	5,77,218
17		तेलंगाना	2,50,084	1,65,400
18		उत्तर प्रदेश	17,76,823	16,41,252
19		उत्तराखंड	64,391	47,808
20		पश्चिम बंगाल	6,68,953	5,92,474
उप-योग (राज्य) :-			**1,13,47,069**	**94,06,037**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	8,499	8,428
22		असम	1,76,643	1,73,063
23		मणिपुर	56,037	55,833
24		मेघालय	4,758	4,583
25		मिजोरम	39,605	37,759
26		नागालैंड	31,860	31,831
27		सिक्किम	316	164
28		त्रिपुरा	92,854	90,241
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य) :-			**4,10,572**	**4,01,902**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	376	353

30		चंडीगढ़	1,256	118
31		दादरा और नगर हवेली दमन व दीव	9,947	5,175
32		दिल्ली	29,976	2,932
33		जम्मू और कश्मीर	47,040	44,364
34		लद्दाख	1,307	1,271
35		लक्षद्वीप	-	-
36		पुदुचेरी	15,995	14,165
उप-योग (यूटी) :-			**1,05,897**	**68,378**
कुल योग :-			**118.64 लाख**	**98.76 लाख**